न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी हॅसमुख कुमार, आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र संख्या 112 / 2019

प्रार्थीगण बनाम अप्रार्थी

1– अमृत पुत्र वनारामजी जाति माली
2– कपूदेवी पत्नि वनारामजी जाति माली
3– दलाराम पुत्र वनारामजी जाति माली
4– प्रवीण पुत्र वनारामजी जाति माली
5– पार्वती पुत्री वनारामजी जाति माली
6– फुलाराम पुत्र वनारामजी जाति माली
7– भरत पुत्र वनारामजी जाति माली
सभी आयु व्यस्क निवासी कालन्द्री
तहसील व जिला सिरोही

स्टेट जरिये तहसीलदार
सिरोही

उपस्थित :–
1– श्री जितेन्द्रसिंह देवडा विद्वान वकील प्रार्थीगण
2– अप्रार्थी स्टेट तह.सिरोही की ओर से श्रीमति निधि कोठारी
पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार न्यायालय हाजा

रा.प्रा.अ.धारा 251(क) की उपधारा (1)राज.अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने

निर्णय दिनांक 30 –9–2020

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क)की उपधारा (1) राजस्थान अभिधृति अधिनियम के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही का वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 6–12–2019 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के राजस्व ग्राम कालन्द्री पटवार हल्का कालन्द्री 2 तहसील सिरोही जिला सिरोही मे संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी मय कुंआ आया हुआ है जिसकी विगत राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2070–2073 के अनुसार निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
नया – 459	3030	0.0500 हैक्टेयर	गै.मु. चाह
पुराना– 432	3031	1.80[illegible] हैक्टेयर	चाही 3

कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 1.85[illegible] हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.07.28 17:28:56 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त कृषि आराजी मे प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार कृषक है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि मय कुंआ की वर्णित आराजी के उतरी दिशा मे खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

निरन्तर पेज नं. दो

3033 सिवायचक वरडा की वर्णित आराजी आई हुई है। जो अप्रार्थी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है एवं उक्त आराजी से लगता उतरी दिशा मे सार्वजनिक आम रास्ता खसरा नंबर 3028 मे दर्ज है। प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी पर आने जाने हेतु तथा मवेशी ,ट्रेक्टर,बैलगाडी इत्यादि के लिये राजस्व रेकर्ड मे कोई रास्ता दर्ज नही है। प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र मे वर्णित आराजी व कुऐं पर आने जाने हेतु तथा मवेशी ,ट्रेक्टर,बैलगाडी इत्यादि लाने ले जाने के लिये पिछले कई वर्षो से पुश्तैनीकाल से खसरा नंबर 3028 दर्ज सार्वजनिक आम रास्ते से लगती खसरा संख्या 3033 की सिवायचक वरडा भूमि मेसे उतरी–पश्चिम दिशा के किनारे (लोर) के सहारे सहारे प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 3030 3031 की वर्णित आराजी मे पुश्तैनी काल से उक्त भाग को रास्ते के रूपम` निरन्तर व निर्बाध रूप से उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। उक्त रास्ते की आराजी को संलग्न नक्शे मे लाल स्याही से डोटेड ....''ए'' से ''बी'' से दर्शाया गया है। संलग्न नक्शे को प्रार्थनापत्र का अंग समझा जावें । उपरोक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता विकल्प नही है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते का उपभोग किया जा रहा है। उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शे मे इन्द्राज नही होने से प्रार्थीगण के आवागमन हेतु समस्या का सामना करना पड रहा है।

अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा कालन्द्री पटवार हल्का कालन्द्री 2 तहसील व जिला सिरोही के खसरा नंबर 3030,3031 की वर्णित आराजी मे आने जाने हेतु संलग्न नक्शे मे लाल स्याही (.....) ''ए'' से ''बी''भाग को जो अप्रार्थी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज खसरा संख्या 3033 मे दर्शाया गया है जो करीब 15 फीट चौडाई मे रास्ता घोषित कर उसका राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शे मे इन्द्राज व तरमीम करने के आदेश प्रदान करावें ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम कालन्द्री पटवार हल्का कालन्द्री 2 तहसील सिरोही जिला सिरोही जमाबंदी संवत 2070–2073 के नया खाता संख्या 459 के खसरा नंबर 3030 व खसरा नंबर 3031 किता 2 कल रकबा 1.8500 तथा अप्रार्थी स्टेट की जमाबंदी संवत 2070–2073 राजस्थान सरकार के खाता नंबर 01 के खसरा नंबर 3033 रकबा 0.2800 हेक्टेयर ,नक्शा ट्रेस प्रस्तावित रास्ता मोमीयॉ ट्रेस नक्शा सम्पूर्ण की प्रमाणित प्रतियो का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 6–12–2019 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । जिस पर अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही को उक्त नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शामिल मिसल कियाप गया । पैरोकार सरकार द्वारा अप्रार्थी स्टेट की ओर से जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित मे न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिये गये । विचारण प्रार्थनापत्र अ.धा. 251 (क) आर.

Signature Not Verified
Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.07.28 17:28:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

निरन्तर पेज नं. 3

टी.एक्ट की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 25–9–2020 को अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही ने जरिये पत्र क्रमांक रीडर/2020/710 दिनांक 26–8–2020 के संलग्न जवाब व संलग्न नक्शा किश्तवार पटवारी हल्का कालन्द्री 2 तथा प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम कालन्द्री पटवार हल्का कालन्द्री 2 तहसील सिरोही जिला सिरोही जमाबंदी संवत 2070–2073 के नया खाता संख्या 459 के खसरा नंबर 3030 व खसरा नंबर 3031 किता 2 कल रकबा 1.8500 तथा अप्रार्थी स्टेट की जमाबंदी संवत 2070–2073 राजस्थान सरकार के खाता नंबर 01 के खसरा नंबर 3033 रकबा 0.2800 हेक्टेयर ,नक्शा ट्रेस प्रस्तावित रास्ता मोमीयॉ ट्रेस नक्शा सम्पूर्ण शामिल मिसल किया गया ।

अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने जवाब मे यह कथन किया कि प्रार्थी गण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि पटवारी हल्का कालन्द्री 2 जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता नंबर 459 खसरा नंबर 3030,3031 कुल किता 2 कुल रकबा 1.8500 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि है ,जमाबंदी की नकल संलग्न है। प्रार्थीगण को अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिये रेकर्ड अनुसार कोई रास्ता दर्ज नही है। खसरा नंबर 3031 के उत्तरी दिशा की तरफ खसरा नंबर 3033 किस्म वरडा सिवायचक बिलानाम भूमि उपलब्ध है। प्रार्थीगण उक्त बिलानाम भूमि मे उतरी पश्चिम दिशा के किनारे/लोर/माठ के सहारे सहारे रास्ते (15 फीट) का उपयोग किया जा रहा है जिसे संलग्न राजस्व नक्शे मे लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। तहसीलदारी सिरोही ने अपने जवाब के पैरा संख्या 3 के माध्यम से यह कथन किया है कि प्रस्तावित रास्ते के लिये प्रस्तावित भू–भाग का खसरे का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा	कुल रकबा	रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल
1.	राजकीय बिलानाम भूमि	3033	0.2800 हैक्टेयर	लं. 122 मी ×.चौ.4.57 मी. =558 वर्गमीटर अर्थात 0.0558 हेक्टैयर

तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब मे पैरा संख्या 4 मे कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि का उपयोग मे किया जा रहा है जिसे रास्ते के रूपम` नियमानुसार रेकर्ड मे दर्ज किया जाना उचित है। प्रार्थीगण नियमानुसार शुल्क भरने के लिये सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.07.28 17:28:56 IST
Reason: SelfAttested

निरन्तर पेज नं. 4

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

पत्रावली वास्ते वकील उभय पक्षकारान व पैरोकार सरकार की प्रार्थनापत्र अ.धा. 251(क) आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस दिनांक 28–9–2020 को रखी गई। जिस पर वकील प्रार्थी तथा पैरोकार सरकार न्यायालय हाजा ने दौराने सुनवाई न्यायालय मे हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचारण प्रकरण प्रार्थनापत्र अ0धा0 251(क) आर.टी.एक्ट पर वकील प्रार्थी तथा एवं अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार न्यायालय हा। की अंतिम बहस पर गंभीरता से मनन किया। विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व जवाब स्टेट तहसीलदार सिरोही व संलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व संलग्न नक्शा ट्रेस किश्तवार का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि प्रार्थीगण ने उसकी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि मे से होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले मे खातेदारी भूमि मे पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया है। अतः प्रार्थीगण को खातेदारी आराजी मे होकर आने जाने के लिये मवेशी ,ट्रैक्टर ,बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिये आत्यांतिक आवश्कता होने से एवं अन्य वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता सिद्व नही होने से तथा तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब मे भी रास्ता मौके एवं रेकर्ड मे नही होना बताया है इस कारण तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाना उचित समझते है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। एव तहसीलदार सिरोही के प्रस्ताव अनुसार प्रार्थीगण को आवागमन के लिये मौजा कालन्द्री पटवार हल्का कालन्द्री 2 तहसील सिरोही के बिलानाम खाता श्री सरकार के खसरा नबर 3033 कुल रकबा 0.2800 हैक्टेयर किस्म वरडा लंबाई 122 मीटर × चोडाई 4.57 मीटर बराबर 558 वर्गमीटर अर्थात 0.0558 हैक्टेयर भूमि रास्ते के लिये स्वीकृत की जाती है। इस सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251 (क) के तहत राजस्थान सरकार के श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र कमांक प0(52) राज–6/4 दिनांक 14–6–2013 बाबत राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के संबंध मे दिये गये प्रावधानों अनुसार उक्त रास्ते की भूमि स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.07.28 17:28:56 IST
Reason: SelfAttested

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम ... उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प

निरन्तर पेज नं. 5

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और
(ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचनाओ को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

तहसीलदार, सिरोही द्वारा उक्त रास्ता की भूमि की नियमानुसार कीमत अवधारित कर कीमत की राशि प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने पर मौजा कालन्द्री पटवार हल्का कालन्द्री 2 तहसील सिरोही के बिलानाम खाता श्री सरकार के खसरा नबर 3033 रकबा 0.2800 हैक्टेयर किस्म वरडा मेसे लंबाई = 122 मीटर × चौडाई 4.57 मीटर = 558 वर्गमीटर अर्थात 0.0558 हेक्टेयर भूमि प्रस्ताव अनुसार रास्ते की भूमि राजस्व रेकर्ड मे रास्ते के रूप में अभिलिखित की जावे। उक्त रास्ते का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

निर्णय आज दिनांक 30–9–2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(हॅसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपखण्ड अधिकारी सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 30 –9–2020 को मेरे हस्ताक्षर ,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपखण्ड अधिकारी सिरोही (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही-307001 (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.07.28 17:28:56 IST
Reason: SelfAttested